आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 159/13–14

मो०हसमत वनाम् मो० एनुल

आदेश

आवेदक मो० हसमत पिता हवीब मियॉ (मरहुम) ग्राम–बेलखरा थाना–करपी, जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर भूमि को पैमाईश कराकर पिलरींग कराने एवं गैर कानूनी बेदखली संरचना को हटाकर आवेदक को कब्जा धोषित करने एवं अधिकारों का प्रख्यापन करने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा मखदुमपूर कबीर, थाना नं० 24 थाना कलेर, जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
65	35	03 डी०	उ०–गली द० – इसफाक खॉ का मकान पू० – सड़क, प० – इब्राहीम का मकान

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। तदुपरान्त अनुसेवी के माध्यम से नोटिस का तामिला कराया गया। विपक्षी उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) आवेदक ने विवादित भूमि खाता नं० 65 प्लॉट नं० 35 रकवा 3 डी० जमीन को दिनांक 04.12.1972 को केवाला नं० 2382 खरीदगी प्राप्त है।

(2) आवेदक भूमि के खरीदने के बाद भूमि को वाउन्ड्री देकर अपने पैतृक ग्राम वेलखरा में रहता है।

(3) विपक्षी ने आवेदक के भूमि में वाउन्ड्री तोड़कर एक कमरा वनाकर कब्जा किये हुए है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) खाता नं० 65 प्लॉट नं० 35 रकवा 3 डी० (1 कट्टा) भूमि विपक्षी के पिता स्व० इब्राहीम मियॉ 12.11.1960 ने निबंधित केवाला के माध्यम से विकेता मो० जैनव पति स्व० दमड़ी मियॉ से खरीद किया है जिसपर पक्का आवासीय मकान वनाकर प्रतिवादी पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करते आ रहे है।

(2) प्रश्नगत् भूमि पर पूर्व में मिट्टी का मकान था जिसपर जमीन कय करने के पूर्व

से ही प्रतिवादी के पूर्वज के दखल कब्जा में था।

(3) प्रतिवादी के पिता इब्राहीम मियॉ को मो० जैनब रिस्ते में बहन लगती थी,जो साथ रहती थी, एवं नावल्द थी जो अपनी सेवा सुश्रूषा तथा अपने जीवन के अंतिम अवस्था बिताने हेतु प्रश्नगत् भूमि 1960 में रजिस्ट्री की थी।

(4) प्रश्नगत् भूमि को 1964 में मो० जैनब को वहला फुसलाकर फर्जी तरीके से सलेगरा बीबी ने कय किया था तथा 1972 में समीरा बीबी ने प्रश्नगत् भूमि को गलत तरीके से मो० हसमत को बिक्री किया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित भूमि पर दावा 04.12.1972 के केवाला के आधार पर किया है जो उन्होनें बीबी सगीरा जौजे इसुफ से निष्पादित कराया है। उपरोक्त बीबी सगीरा ने उक्त भूमि को 21.01.1964 को बीबी जैनब जौजे दमड़ी मियॉ से कय किया था। परन्तु प्रतिवादी के पिता ने उपरोक्त बीबी सगीरा द्वारा विवादित भूमि को कय करने के पूर्व ही उपरोक्त बीबी जैनब से दिनांक 12.11.1960 को विवादित भूमि का $2\frac{1}{2}$ डी० रकवा कय किया था जिसपर प्रतिवादी मकान बनाकर रह रहे है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है,वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।